

प्रोफार्मा -1

**प्रमाण—पत्र / अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा
(चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)**

भाग—अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा / दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जून 2019 को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 एवं संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हू।

- 1/ **NEET UG 2021** परीक्षा का रोल नंबर
 2/ आल इण्डिया मेरिट क्रमांक नीट यूजी0 2021
 3/ पूरा नाम:
 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग E.W.S.)
 6/ प्रवर्ग— (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, दिव्यांग,) :
 7/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई—मेल आई.डी.नं.....

मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (J) का चिन्ह लगायें

1. चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र।
2. हॉयर सेकेण्डरी (10+2) 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा की अंकसूची।
3. कक्षा 11वीं की अंकसूची
4. आयु प्रमाण के लिये हाई स्कूल, अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।
5. अभ्यर्थी की फोटो युक्त आईडी।
6. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र। अभ्यर्थी के व्यस्क न होने की दशा में उसके माता/पिता के मूल निवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम अंकित हो।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण—पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण—पत्र।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये जारी किया गया (EWS) प्रमाण पत्र।

9. वर्तमान वर्ष का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण—पत्र अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)
10. दिव्यांग प्रवर्ग हेतु आरोपी0डब्ल्यूडी0 एकट 2016 के अन्तर्गत बैंच मार्क डिसएबिलिटि के लिये किसी भी राज्य के दिव्यांगता केन्द्र अथवा केन्द्र सरकार के विनिर्दिष्ट दिव्यांगता केन्द्र से जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
11. सैनिक प्रवर्ग के अभ्यर्थी को कमान्डेंट (सेवारत सैनिक की दशा में) अथवा जिला सैनिक कल्याण बोर्ड (सेवानिवृत्त अथवा मृत सैनिक की दशा में) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, प्रारूप 2 (अ), प्रारूप 2 (ब) अथवा प्रारूप 2 (स)
12. स्वतंत्रता संग्राम सैनानी अभ्यर्थी को संबंधित जिला कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, प्रारूप—3
13. अनिवासी भारतीय कोटे से सीट आवंटित होने की दशा में प्रोफार्मा 4,5,6 के अनुसार दिया जाने वाला शपथपत्र
14. मध्य प्रदेश से अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र) प्राप्त नहीं करने संबंधी एवं किसी अन्य राज्य से मूल निवासी का लाभ नहीं लिये जाने संबंधी शपथपत्र प्रोफार्मा—7
15. सीट लिविंग बॉर्ड/ ग्रामीण सेवा बंध पत्र प्रोफार्मा—8
16. अनुशासन संबंधी वचन पत्र प्रोफार्मा—9

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

फोटो

प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा

भाग—ब_ (स्कूटनी (छानबीन) समिति द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटनी के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का NTA नई दिल्ली द्वारा प्रेषित **NEET UG 2021** में समिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से मिलान करने के बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।

भिन्नता की स्थिति में टिप्पणी –.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं। एवं जमा किये गये मूल दस्तावेजों का प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को प्रदान किया गया।

सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र है :—

1.....

2.....

3.....

प्रवेश समिति के अध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

प्रवेश समिति के सदस्य के
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

प्रवेश समिति के सदस्य के
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

प्रोफार्मा –2 (अ)

(अनुसूची–3 (12) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एम.पी.) हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
जो प्रवेश परीक्षा NEET UG 2021 के आधार परपाठ्यक्रम में प्रवेश के
लिये अभ्यर्थी श्री/कुमारी के पिता/माता हैं

थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय
वह.....पद पर थे/थी। उनका सर्विस क्रमांक.....
था। सेवा के दौरान वह स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्युवर्ष....
में हो चुकी है। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं/नहीं हैं (जो लागू न हो उसे काट दें
)

स्थान.....
दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

.....
(कार्यालय सील)

प्रोफार्मा – 2 (ब)

(अनुसूची–3 (12) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत सैनिक

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....

जो प्रवेश परीक्षा NEET UG 2021 के आधार परपाठ्यक्रम में
प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री/कुमारी
के पिता/माता हैं

अ— थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....
..... के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं।
वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

ब— थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....
के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और वह मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में
पदस्थ है। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

स— थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....
के अधीन कार्यरत सैनिक हैं। वह मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी नहीं है परन्तु
मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में दिनांक..... से सेवारत है।

स्थान..... हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग.....

दिनांक.....

(कार्यालय सील)

प्रोफार्मा –2 (स)

(अनुसूची–3 (12) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में अधिवासित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/ श्रीमती/ कुमारी (उम्मीदवार का नाम)..... जो प्रवेश
परीक्षा NEET UG-2021 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए
उम्मीदवार हैं, श्री/ श्रीमती (पिता/ माता)..... के/ की
पुत्र/ पुत्री हैं, जो थलसेना/ वायुसेना/ नौसेना मेंपद, सर्विस क्रमांक..... के अधीन
सेवारत रहकर सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात्/ उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके
परिवारजन(स्थान), तहसील.....जिला.....में अधिवासित हो गए हैं।

स्थान-----

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक-----

(कार्यालय सील)

प्रोफार्मा – 3

(अनुसूची-3 (13) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती.....जो प्रवेश परीक्षा
NEET UG-2021के आधार परपाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी
श्री/कुमारीके पिता/माता हैं।

तथा

श्री/ श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम).....
श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के पुत्र/पुत्री हैं।

तथा

श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश
के जिला (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में
क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान-----

हस्ताक्षर :

दिनांक-----

(जिला कलेक्टर/जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी)
कार्यालय की स्पष्ट मोहर

PROFORMA-4 (प्रारूप-4)

[As per Schedule 3 item 11(iv) (v)]

NOTARIZED AFFIDAVIT BY NRI CANDIDATE

(to be executed on rupees 1,000/- non judicial stamp paper)

(For admission in the NRI quota seats in Private Medical and Dental Colleges of MP State)

1) I, _____ (Name of candidate) _____ Son of _____
 Shri/Smt. _____ aged _____ years, who is seeking admission in _____ course through NEET _____, NEET Testing
 ID _____ under NRI quota seats in _____ private college,
 holding _____ passport and residing at _____
 _____, mobile number _____ email id _____ ,
 am an NRI.

Proof of being NRI:- (any one)

- i) OCI Card
- ii) NRI Status certificate issued by embassy/consulate general in the admission year
- iii) Copy of passport

OR

2) I am being sponsored by _____ Son of /Daughter of _____ who is an NRI and is my _____ by relation as indicated below :-

S.no	Relationship with candidates	Tick Mark
1	Parents	<input type="checkbox"/>
2	Grandparents, (paternal/maternal)	<input type="checkbox"/>
3	Real Uncle / Aunt (paternal/maternal)	<input type="checkbox"/>
4	Real Brother/ Sister	<input type="checkbox"/>

OR

3) I am taken as a ward by _____ S/o,/ D/o, _____ who is an NRI and i am related to him in the following manner..... (describe the relationship).

Sponsor will bear the entire fee to be paid for my education for the entire tenure of the programme.

Date

Place

Signature of Candidate

Name _____

Address _____

Note :-

1. choose any one of the three alternatives applicable.
2. in case the candidate is a minor the affidavit has to be signed by a parent or legal guardian of the candidate in the proforma given.

PROFORMA-5 (प्रारूप-5)

[As per Schedule 3 item 11(iv) (v)]

NOTARIZED AFFIDAVIT BY GUARDIAN / SPONSOR

(to be executed on rupees 1,000/- non judicial stamp paper)

(For admission in the NRI quota seats in Private Medical and Dental Colleges of MP State)

- 1) I, (Name of guardian/ Sponsor) _____ hereby, declare that Mr/ Ms -----
 ----- (Name of candidate) Son of Shri/Smt _____ aged _____ years, who is seeking admission in _____ course through NEET _____, NEET Testing ID _____ under NRI quota seats in _____ private college, holding _____ passport and residing at _____, mobile number _____ email id _____, is an NRI.

Proof of being NRI:- (any one)

- i) OCI Card
- ii) NRI Status certificate issued by embassy/consulate general in the admission year
- iii) Copy of passport

OR

- 2) He is being sponsored by _____ Son of /Daughter of _____ who is an NRI and is related to the candidate by relation as indicated below :-

S.no	Relationship with candidates	Tick Mark
1	Parents	<input type="checkbox"/>
2	Grandparents, (paternal/maternal)	<input type="checkbox"/>
3	Real Uncle / Aunt (paternal/maternal)	<input type="checkbox"/>
4	Real Brother/ Sister	<input type="checkbox"/>

OR

- 3) He is taken as a ward by _____ S/o,/ D/o, _____ who is an NRI and related to him in the following manner..... (describe the relationship).

Sponsor will bear the entire fee to be paid for my education for the entire tenure of the programme.

Date

Place

Signature of Legal Guardian/ Sponsor

Name _____

Address _____

Note :- Choose any one of the three alternatives applicable..

PROFORMA-6 (प्रारूप-6)

[As per Schedule 3 item 11 (v)]

NRI/OCI SPONSORSHIP CERTIFICATE

(Applicable for candidates sponsored by NRI/OCI)

The candidate is required to submit the following NRI/OCI sponsorship certificate from the sponsorer duly notarized in the country of residence of NRI/OCI at the time of admission.

I,Son/Daughter of Mr./Mrs. aged aboutyears, do hereby declare that I am a Non-Resident Indian (NRI)/ an Overseas Citizen of India (OCI) and I am herewith enclosing photocopy of my valid passport/ OCI card duly counter signed by the Indian embassy/ high commission.

That my present address is:.....

.....

.....

PhoneNo.:.....

Country:.....Email:.....

.....

That I have taken Mr. /Ms.

Daughter/Son of.....

Address.....

as my ward, who is taking admission in.....course through

NEET.....(Year).....,NEET testing ID.....under NRI

Quota..... and that I wish to sponsor him/her as a candidate in the NRI category for

admission in the private medical college in Madhya Pradesh.

That I undertake to bear the entire fee of Mr./Ms.to study in the
UG/PG

Programme till he/she successfully completes the program. That the candidate
Mr/Ms. is related to me as..... (describe relationship).

I am holding Passport No.....of country date
of issue.....Declared on this
day of2019.

Signature of the Sponsor

Name.....

Email:-

Place of

Residence.....

Verification by notary

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and
be verified at_____ (place) on this the _____(day) of
_____(month), _____(year).

Name _____

Solemnly affirmed and signed in my presence on this _____ day
of _____

Place :

Date :

Notary public

(प्रोफार्मा -7)
नोटराइज्ड शपथ-पत्र

(रूपये 100 के नाम जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी/ मूल निवासी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....
निवासी.....मध्यप्रदेश के चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविधालय में स्नातक /
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र मैं प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018,
संशोधन जून 2019 एवं संशोधन 05 अक्टूबर 2021 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता / करती हूं कि मैंने अन्यत्र राज्य से स्थानीय निवासी / मूल निवासी
प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, एवं मैंने अन्य किसी राज्य से स्थानीय निवासी /मूल निवासी
होने का लाभ प्राप्त नहीं किया है ।

मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा प्रवेश
निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट :-अभ्यर्थी के व्यस्क न होने पर शपथपत्र पर हस्ताक्षर अभ्यर्थी के अविभावक द्वारा किये
जायेंगे ।

हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/अविभावक

नाम-

पता-

दिनांक-

प्रोफार्मा –8

(अनुसूची–3–11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में
प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये
बंध—पत्र

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

- 1— मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में
 स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।
 2— मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018,
 संशोधन जून 2019 एवं संशोधन 05 अक्टूबर 2021 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है ।
 3— मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूं कि :—

i) सीट लिविंग बॉण्ड—

- अ मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत
 रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।
 ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के नियमानुसार विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात्
 एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा
 निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा/शासकीय दंत चिकित्सा
 महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि रु0 30,00,000/- (रु0 तीस
 लाख) भुगतान करने का वचन देता हूं /देती हूं अथवा निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा
 महाविद्यालय में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित संस्था में सम्पूर्ण अवधि का
 शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा ।

ii) ग्रामीण सेवा बॉण्ड—

- अ— मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित
 अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।
 ब— विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन
 द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग
 हेतु) रु0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

स— अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविधालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

अथवा

विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविधालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

- 1.....
- 2.....

प्रोफार्मा—9

//वचन पत्र//

(स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं.....पुत्र/पुत्री.....

.नीट यू०जी०/पी०जी० वर्ष.....रोल नंबर.....शपथपूर्वक
कथन करता/करती हूँ कि :—

1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधनों का भली—भौती अध्ययन कर समझ लिया गया है।
2. मुझे शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड (यदि लागू हो) का संज्ञान है, एवं मैं उक्त निर्धारित शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड से सहमत हूँ।
3. मैं सदैव IMC Regulation 2002 (professional, etiquette and ethics) का पालन करूँगा/करूँगी एवं पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता, रेगिंग एवं अन्य अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होगी। मैं किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहूँगा/रहूँगी एवं किसी भी हड़ताल (Strike) में शामिल नहीं होऊँगा/होऊँगी। संलिप्तता पाये जाने पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 17 (3) के अन्तर्गत मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
4. मैं शासन के विधि द्वारा स्थापित समस्त अधिनियम तथा समय—समय पर जारी समस्त कार्यपालिक निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी।

वचनग्रहीता

मेरे द्वारा वचनपत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है जिसका सत्यापन आज दिनांक को स्थान में मेरे द्वारा सत्यापन किया गया।

वचनग्रहीता

(1) गवाह :—	(2) गवाह :—
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
मोबाईल नंबर.....	मोबाईल नंबर.....

(3) पिता/अभिभावक का नाम —

पता

मो.नं.....

ईमेल.....